(1)

माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

अपील 588-I-15

अपील /2015

जय मॉ काली लिंकर्स द्धारा पार्टनर ब्रज कु जायसवाल पुत्र श्री चम्पालाल जायसवाल निवा स्नेहनगर जिला सागर लायसेंसी वर्ष 2008– लायसेंस क –22 विदेशी मंदिरा दुकान भण्डा जि सागर म.प्र. । .

..............अपीलार्थी

बनाम

म0प्र0 शासन द्धारा –उपायुक्त आबकारी , संभा उडनदस्ता , सागर म.प्र. ।

प्रतिअपीलार्थी

श्री सुनील सिंह भदौरिया अभि. द्वारा आज दि. 19.3.15 को प्रस्तुत
for क्लर्क ऑफ कोर्ट 19.3.15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

50

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 588–एक/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
24/5/18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा समयसीमा के बिन्दु पर व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ आबकारी आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक आरईसी 44/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–4–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिसके विरूद्ध में आवेदक द्वारा यह निगरानी 10 माह से भी अधिक के विलम्ब से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 5 के आवेदन व तर्को में प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का यह कारण बताया कि आदेश की जानकारी नहीं होने से विलम्ब हुआ, समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । अतः प्रथमदृष्टया यह अपील अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	